

बिहार सरकार  
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग  
स0-4/निदे0-पी0सी0आर0(विविध)-02-12-13/2015- 14

केन्द्र प्रायोजित  
योजना  
(50:50)

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक - 31.05.18

विषय:-वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, (संशोधन) अधिनियम-2015 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के अधीन केन्द्रांश में ₹6,06,15,000/- (छः करोड़ छः लाख पन्द्रह हजार रू0) एवं राज्यांश में ₹6,06,15,000/- (छः करोड़ छः लाख पन्द्रह हजार रू0) अर्थात् कुल ₹12,12,30,000/- (बारह करोड़ बारह लाख तीस हजार रू0) मात्र की स्वीकृति।

आदेश-स्वीकृत।

2- केन्द्रांश के लिए राशि मांग सं0-44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा- उपशीर्ष-0221-नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989-विषय शीर्ष-0221.33.02-मुआवजा विपत्र कोड सं0-44-2225012770221" पी0एफ0 एम0एस0 कोड 9488 तथा राज्यांश के लिए मांग सं0-44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष- "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा- उपशीर्ष-0321-नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989-विषय शीर्ष-0321.33.02-मुआवजा विपत्र कोड सं0-44-2225012770321 पी0एफ0एम0एस0 कोड 9488 से विकलनीय होगा।

3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली भारत सरकार के पत्रांक-11014/20/2017-PCR (Desk) दिनांक-18/07/2017 द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश के लिए विमुक्त ₹15,06,67,000/- (पन्द्रह करोड़ छः लाख सडसठ हजार रू0) मात्र की राशि में से अवशेष केन्द्रांश मद में ₹6,06,15,000/- (छः करोड़ छः लाख पन्द्रह हजार रू0) एवं राज्यांश में ₹6,06,15,000/- (छः करोड़ छः लाख पन्द्रह हजार रू0) अर्थात् कुल ₹12,12,30,000/- (बारह करोड़ बारह लाख तीस हजार रू0) मात्र की स्वीकृति दी जाती है। साथही वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस स्वीकृत राशि से आवंटन जिलों को मांग के आलोक में निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा विमुक्त किया जायेगा।

4- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे, जो निकासी की गई राशि की व्यय की विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे।

5- इस राशि से अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, (संशोधन) अधिनियम-2015, नियम-1995 एवं (संशोधन) नियम-2016 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के धाराओं और नियमों के प्रावधानों के तहत अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के पीडित व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान की राशि (i) अनुसूची और उपबन्ध-1(नियम-12(4)) में राहत राशि के लिए निर्धारित मापदण्ड दर पर राहत अनुदान, (ii) पेंशन साथ ही अधिनियम/नियम के तहत, (iii) पीडित/पीडिता को वैधिक सहायता, (iv) पीडित/पीडिता को यात्रा भत्ता, (v) पीडित/पीडिता को दैनिक भत्ता, (vi) पीडित/पीडिता को राहत और पुनर्वास (vii) प्रचार-प्रसार (viii) जागरूकता (ix) पुलिस महानिरीक्षक (क0व0) के अधीन अनु0 जाति और अनु0 जनजाति संरक्षण कक्ष, (x) सर्वेक्षण इत्यादि पर व्यय की स्वीकृति दी जा सकेगी।

6- अत्याचार राहत अनुदान की राशि वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-3808 दिनांक-02 जून, 2017 के आलोक में आधार (वित्तीय और सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 {Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and and other Susidies, Benefits and Services) Act, 2016} के तहत लाभुकों के बैंक खाते को आधार नम्बर से जोड कर RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

7- राशि की स्वीकृति के तुरंत बाद ही जिला पदाधिकारी द्वारा अत्याचार राहत हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता और फौजदारी मुकदमा के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना सरकार के पास विस्तारपूर्वक अपने मन्तव्य के साथ भेजेंगे। साथ ही उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति प्रधान सचिव, गृह विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।


8- इन मदों के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.4.98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

9- इस स्वीकृति के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक-31-03-2019 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेंगे।

10- इस राशि की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-4/निदे०पी०सी०आर०(विविध)०२-१२-१३/२०१५- के पृ०- /टि० पर प्राप्त है।

11- इस राशि की स्वीकृति की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
(प्रेम सिंह मीणा)  
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-4/निदे०पी०सी०आर०(विविध)०२-१२-१३/२०१५- 14 पटना, दिनांक-31.05.18  
प्रतिलिपि : 1-वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2- प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (क० व०) अपराध अनुसंधान विभाग बिहार पटना।

3- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/अवर सचिव, प्रभारी, बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-4/निदे०पी०सी०आर०(विविध)०२-१२-१३/२०१५- 14 पटना, दिनांक-31.05.18  
प्रतिलिपि : सभी सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।